मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति 26 मार्च 2018

जामिया मिल्लिया के अल्पसंख्यक दर्जे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर स्पष्टीकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय में 2011 से लंबित जामिया मिल्लिया इस्लामिया :जेएमआईः के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले पर विश्वविद्यालय 19 मार्च 2018 को एक राष्ट्रीय दैनिक अखबार में छपी उस ख़बर से हैरान है, जिसमें खुलासा किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बारे में अदालत से अपना पूर्व का हल्फनामा वापस लेकर जेएमआई के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करने वाला एक नया हल्फनामा दाखिल किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप संशोधित हल्फनामे के खिलाफ अपनी आपत्तियों को दर्ज कराएगा।

विभिन्न पांच लोगों ने 2011 में जामिया मिल्लिया के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें न सिर्फ जेएमआई प्रशासन, बल्कि उससे जुड़े विभिन्न समूहों–संगठनों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय अल्पंसख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग :एनसीएमईआईः , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के सचिव, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जामिया टीचर एसोसिएशन :जेटीएः जामिया छात्र संघ, जामिया पूर्व छात्रों और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में डिप्टी सचिव ने केन्द्रीय सरकार के सरकारी वकील अरूण भारद्वाज के जरिए 5 मार्च, 2018 को जेएमआई के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करने वाला नया संशोधित हल्फनामा दाखिल करवाया। अदालत के रिकार्ड दर्शाते हैं कि इस हल्फनामें के संबंध में एडवांस नोटिस सिर्फ याचिकाकर्ता के वकील विजय कुमार शर्मा को उपलब्ध कराया

गया और जेएमआई के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जेटीए तथा अन्य को एडवांस नोटिस नहीं दिए गए, जो कि नियमों के विरूद्व है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप संशोधित हल्फनामे के खिलाफ अपनी आपत्तियों को दर्ज कराएगा। मामले की मुख्य सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय केन्द्र सरकार द्वारा दाखिल संशोधित हल्फनामे पर विचार करेगा। यह मामला ' नियमित सुनवाई ' के तहत सूचीबद्व है जिसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ निकट भविष्य में लेगी, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। उच्च न्यायालय में जब भी यह मामला आएगा प्रतिवादी अपनी बात रखेंगे।

यह अफसोसनाक है कि उक्त तथ्यों और कानूनी स्थिति के इतर, प्रेस के कुछ लोगों ने अल्पसंख्यक दर्जे के पक्ष में जेएमआई के रूख को गुमराह किया और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कुछ मीडिया घरानों ने विश्वविद्यालय के पक्ष को नहीं रख कर पत्रकारिता के आचरण का पालन नहीं किया।

ऐसा लगता है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों ने जेएमआई और उसके प्रशासन को बदनाम करने की नीयत से झूठा प्रचार चलाया। जेएमआई प्रशासन ऐसे तत्वों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। ऐसे मामलों को प्रेस काउंसिल आफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड के सामने भी ले जाया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अज़ीज़ बाशा केस के आधार पर यह कह रहे हैं कि जेएमआई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित नहीं है, बल्कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से संचालित है।। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों से यह साबित भी हुआ है।

यह एक कानूनी लड़ाई है जिसमें सभी प्रतिवादी अदालत में अपनी बात पुरज़ोर तरीके से रखेंगे और इसलिए सभी संबंधित लोगों से आग्रह है कि अभी वह किसी नतीजे पर पंहुचने या कोई अर्थ निकालने से परहेज़ करें।

प्रो साइमा सईद

मीडिया कोऑर्डनैटर